उत्तर प्रदेश सरकार
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
(प्रकाशन प्रभाग)
संख्या :— 1143 / सू0एवंज0सं0वि0(होर्डिंग)—21 / 2021
लखनऊ :: दिनांक : 26 जून, 2021

ई—निविदा प्रपत्र

वित्तीय वर्ष 2021—22 एवं 2022—23 में प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर उत्तर प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों, महत्वाकांक्षी योजनाओं, उपलब्धियों का व्यापक प्रचार—प्रसार प्रदेश तथा प्रदेश के बाहर आउटडोर मीडिया (होर्डिंग, रूफटाप, यूनीपोल, फ्लैक्स, के—आस्क, वाल राईटिंग, विनायल, वाल टैट्ट, पुलिस बूथ, मॉल, बस क्यू शेल्टर, ट्री गार्ड, हाई—वे, एक्सप्रेस—वे, एयरपोर्ट कैम्पस/रेलवे स्टेशन कैम्पस, मेट्रो स्टेशन एवं बस स्टेशन आदि) पर किराया पद्धति पर प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर हेतु दरें आमंत्रित की जाती हैं, जिसके आधार पर निविदा में चयनित फर्मो को सूचीबद्ध किया जायेगा।

ई—निविदा ऑन लाइन दिनांक 27 जून, 2021 को प्रातः 11:00 बजे से 28 जुलाई, 2021 को अपराह्न 12:00 बजे तक https://etender.up.nic.in पर डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है। ऑन लाइन प्राप्त समस्त निविदाओं की टेक्निकल बिड दिनांक 30 जुलाई, 2021 को अपराह्न 3:00 बजे खोली जायेगी। उक्त आमंत्रित निविदा का विस्तृत विवरण, निविदा प्रपत्र, नियम व शर्तें ई—टेण्डरिंग की वेब साइट https://etender.up.nic.in और सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की वेब साइट https://information.up.gov.in पर उपलब्ध है। ऑनलाइन निविदा हेतु फर्म द्वारा निविदा शुल्क हेतु रू0 4,000/— (रूपये चार हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट देना होगा। ऑनलाइन निविदा डालने हेतु निविदाताओं के पास किसी डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सर्टिफाइंग अथॉरिटी द्वारा जारी डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना तथा उक्त वेबसाईट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। टेक्निकल बिड में अर्ह पायी गयी सेवा प्रदाता एजेन्सियों की ही फाईनेंशियल बिड खोली जायेगी। एक अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त/अस्वीकार करने का अधिकार सूचना निदेशक का होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त ई—निविदा में संलग्न किये गये प्रपत्र, अभिलेखों की हार्ड कॉपी, टेण्डर फीस, एफ0डी0आर0/बैंक ड्राफ्ट मूलरूप में तकनीकी निविदा खोलने की तिथि से 02 घंटे पूर्व कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

(अ) टेक्निकल विड

कमांक	प्रस्तावित निविदा
1	निविदा शुल्क के रूप मे रूपये 4,000—00 (रूपये चार हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ के नाम देय होगा जो कि शैड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक से निर्गत किया गया हो।
2	अर्नेस्ट मनी के रूप में रूपये 5,00,000—00 (रूपये पांच लाख मात्र) का एफ0डी0आर0/बैंक ड्राफ्ट जो निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ के नाम देय होगा, जोकि शैड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक से निर्गत किया गया हो। एम0एस0एम0ई0 स्टार्टअप पंजीकरण फर्मों को निर्धारित मानकों के अनुरूप छूट प्रदान की जायेगी।
3	विगत वर्षों 2018—19, 2019—20 तथा 2020—21 के आयकर रिटर्न प्रमाण—पत्र, पैन कार्ड की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। एम0एस0एम0ई0 स्टार्टअप पंजीकरण फर्मों को निर्धारित मानकों के अनुरूप छूट प्रदान की जायेगी।
4	फर्म द्वारा जी0एस0टी0 पंजीयन प्रमाण—पत्र एवं विगत वर्षो 2018—19, 2019—20 तथा 2020—21 के जी0एस0टी0 रिटर्न के प्रमाण—पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। एम0एस0एम0ई0 स्टार्टअप पंजीकरण फर्मों को निर्धारित मानकों के अनुरूप छूट प्रदान की जायेगी।

5	विगत वर्षों 2018–19, 2019–20 तथा 2020–21 की चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट की प्रमाणित बैलेन्स शीट संलग्न की जानी होगी। फर्म का प्रतिवर्ष टर्न ओवर न्यूनतम रू0 40.00 लाख (रूपये चालीस लाख मात्र) होना चाहिए। जिसका सी0ए0 से प्रमाणित टर्नओवर सर्टिफिकेट संलग्न करना अनिवार्य होगा। एम0एस0एम0ई0 स्टार्टअप पंजीकरण फर्मों को निर्धारित मानकों के अनुरूप छूट प्रदान की जायेगी। संयुक्त उद्यम के प्रपत्र मान्य होंगे।
6	विगत वर्षों 2019–20 तथा 2020–21 में सरकारी/गैरसरकारी कार्य के अनुभव का प्रमाण होर्डिंग के क्षेत्र का प्रस्तुत करना होगा। मंडल स्तर पर आउटडोर का कार्य करने वाली अच्छे इन्फ्रास्ट्रक्चर की फर्मों को प्राथमिकता दी जायेगी। एम0एस0एम0ई0 स्टार्टअप पंजीकरण फर्मों को निर्धारित मानकों के अनुरूप छूट प्रदान की जायेगी।
7	सूचीबद्ध होने से पहले निविदादाता फर्म का कार्यालय लखनऊ में होना अनिवार्य है। कार्यालय का पूर्ण पता (मय चौहद्दी) लेटर पैड पर देना होगा। यदि कार्यालय स्वामित्व के भवन पर है, तो स्वामित्व का प्रमाण–पत्र अथवा किराये पर है, किरायेदारी का वैधानिक एग्रीमेंट देना होगा।
8	फर्म का प्रदेश के किसी भी नगर निगम में पंजीकरण होना अनिवार्य है। प्रदेश के बाहर की फर्मों का संबंधित प्रदेश में पंजीकरण होना अनिवार्य है। **वित्तीय वर्ष 2019–20 या 2020–21 के नवीनीकरण की अद्यतन रसीद होनी चाहिए तथा एडवर्टाईजिंग में पंजीकृत होनी चाहिए।**
9	प्रचार–प्रसार कार्यों के लिये प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता मानक के अनुरूप तथा प्रभावशाली होनी चाहिए।
10	फर्म द्वारा निविदा में सफल होने पर 5% धनराशि के समतुल्य जमानती धनराशि का एफ0डी0आर0/बी0जी0 निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के नाम से बंधक कराना अनिवार्य होगा। जोकि शैड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक से निर्गत किया गया हो।
कमांक	**<u>नियम व शर्तें</u> :–**
11	यदि प्रचार–प्रसार कार्य में किसी प्रकार की कमी, कार्य स्तर में गिरावट होती है, तो समस्त उत्तरदायित्व फर्म का होगा। ऐसा होने पर आनुपातिक अथवा सम्पर्ण भुगतान रोकने का सम्पूर्ण अधिकार सूचना निदेशक को होगा।
12	विभाग द्वारा निर्गत सभी अथवा आंशिक कार्य आवश्यकतानुसार कराये जाने का अधिकार सूचना निदेशक के पास सुरक्षित है। यदि फर्म द्वारा इस पर आपत्ति की जाती है तो वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
13	प्रत्येक कार्य हेतु प्राप्त न्यूनतम दरों पर फर्म को स्तरीय एवं गुणवत्ता के साथ कार्य करना होगा। कार्य में किसी प्रकार की कमी का उत्तरदायित्व संबंधित फर्म का होगा। निविदा के माध्यम से प्राप्त न्यूनतम दरों के आधार पर तकनीकी रूप से अर्ह फर्मों के पैनेल का निर्माण करते हुए प्रचार–प्रसार का कार्य कराया जायेगा।
14	समस्त कार्य निदेशक के आदेशानुसार किराया पद्धति एवं फ्लैक्स कय के आधार पर करना होगा।
15	होर्डिंग/फ्लैक्स पट केआस्क एवं मीडिया की सुरक्षा एवं रख रखाव का पूर्ण उत्तरदायित्व फर्म का होगा। किसी दुर्घटना/दैवीय आपदा (आंधी/पानी) जैसी परिस्थितियों से यदि फ्लैक्स पट क्षतिग्रस्त होता है तो इसका उत्तरदायित्व विभाग का नहीं होगा। फर्म को अपने व्यय से क्षतिग्रस्त पट को तत्काल बदलना होगा। फ्लैक्स डी–फेस (धूमिल) होने की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व फर्म का होगा। किसी दुर्घटना/दैवीय आपदा (आंधी/पानी) जैसी परिस्थितियों में हुए जान–माल की हानि का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व फर्म का होगा। इसके अतिरिक्त फ्लैक्स पट, विभाग द्वारा जिस ब्राण्ड का स्वीकृत किया गया है, उसी ब्राण्ड का लगाना होगा। अगर फ्लैक्स उसी ब्राण्ड का लगा नहीं पाया जाता है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित फर्म का होगा, परिणामस्वरुप फर्म के बीजक से कटौती की जायेगी।
16	होर्डिंग स्थापना हेतु प्रचार सामग्री/विषय–वस्तु (कन्टेन्ट) सूचना विभाग के अनुमोदन के उपरान्त ही प्रदर्शित किया जायेगा तथा उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर फर्म को दोषी मानते हुए सुसंगत कार्यवाही का अधिकार निदेशक सूचना को होगा।
17	होर्डिंग की स्थापना स्थल का किराया सूचना विभाग द्वारा देय नहीं होगा।

18	जिस फर्म द्वारा कार्य किया जायेगा उस फर्म द्वारा किये गये कार्य का रखरखाव एवं उसकी मजबूती का विशेष ध्यान स्वयं रखना होगा।
19	कार्य का विभाजन फर्म की कार्य कुशलता, क्षमता एवं क्रियेटिविटी को दृष्टिगत रखते हुए किया जायेगा। विभागीय स्वीकृत पैनल में शामिल फर्मों में कार्य विभाजित करने का पूर्ण अधिकार सूचना निदेशक को होगा। डिजाईनिंग कार्य हेतु फर्म को पृथक से कोई शुल्क नही दिया जायेगा।
20	किसी भी प्रकार की जन धन हानि का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व फर्म का होगा। निविदा के माध्यम से न्यूनतम अनुमोदित दरों पर कार्य करने हेतु तकनीकी रूप से अर्ह इच्छुक फर्मों को रू0 100/– के नान ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा। विभागीय स्वीकृत दर सभी करों रहित स्वीकृत हैं, कर अलग से देय होगा।
21	यदि सफल निविदादाता को कार्य करने हेतु कार्यादेश निर्गत किया जाता है और यदि नियत अवधि मे उक्त कार्यादेश के अनुरुप वह कार्य निष्पादित नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति मे उसका अनुबन्ध निरस्त करने, उसकी जमानती राशि विभाग के पक्ष में जब्त करने और फर्म को काली सूची मे डालने तथा उसके कार्य को किसी अन्य फर्म से कराने का अधिकार निदेशक सूचना के पास सुरक्षित रहेगा।
22	कार्य यदि मानक के अनुरुप नही किया जाता है तो संबंधित फर्म के विरुद्ध कार्यवाही/किये गये कार्य से संबंधित बीजक मे से 20 से लेकर 50 प्रतिशत तक की धनराशि की कटौती करने अथवा पूर्ण भुगतान रोके जाने का अधिकार निदेशक सूचना के पास सुरक्षित होगा। इसके अतिरिक्त फर्म को भविष्य मे कार्य न देने तथा ब्लैक लिस्ट करने का अधिकार भी निदेशक सूचना को होगा। किये गये कार्य के सत्यापन के उपरान्त ही भुगतान सम्भव होगा।
23	रेट्रो रिफलेक्टिव कि–ऑकस्क के विषय में निविदादाता द्वारा निम्न शर्तों को पूर्ण करना आवश्यक है :– (A) Tenders should be submitted original 10 year warranty with Lot certificate for full cube Micro-Prismitic Grade confirming to type XI as per ASTM D 4956-09 from sheeting manufactrur at submission of bill. (B) Tenders should be submitted sample 900mmX900mm Direct painting on type XI sheeting. (C) Tenders should be submitted No Orientation Certificate for Type XI seeting from sheeting manufacture. (D) Authoriged Converters Certificate for Particular Tender from sheeting Manufacture. (E) Providing & Fixing Reflective Kiyosk with a corrosion resistant 4mm thick ACM panel face to be full covered with type XI Reflectiv sheeting ASTM D4956-09 with MS angle fram of 35x35x4mm. (F) Tenders should submit certificate in respect to orientation free sheeting.
24	**विशिष्ट प्रकार की मीडिया के प्रकरण में:–** प्लास्टिक फ्लेक्स से इतर ईको फ्रेन्डली (रीसाईकिल प्रोसेस मेटेरियल) से निर्मित फैब्रिक 210 जीएसएम या अन्य जो एनजीटी/मा0 उच्च न्यायालय एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के समय–समय पर निर्गत पर्यावरण के निर्देश के कम मे पर्यावरण फ्रेन्डली मेटेरियल की प्रचार सामाग्री का नमूना उसके मुख्य फीचर्स के साथ उपलब्ध कराना होगा। विशिष्ट प्रकार की मीडिया हेतु फर्म को मशीन के स्वामित्व का विवरण, छपाई की क्षमता, स्थापना स्थल का विवरण, विद्युत कनेक्शन आदि उल्लेख करना होगा।
25	फर्म द्वारा अपने मैनपावर का विवरण अपने लैटर हैड पर हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ देना अनिवार्य है।
26	प्रत्येक होर्डिंग लोहे के गार्टरो पर स्थापित की जायेगी। 20X10 वर्ग फीट की होर्डिंग मे कम से कम तीन गार्टर एवं 40X10 वर्ग फीट की होर्डिंग मे चार गार्टर होना अनिवार्य है। होर्डिंग्स मे गार्टर के अतिरिक्त लोहे का मजबूत फ्रेम लगा होना चाहिए, जिससे फ्लैक्स सुरक्षित रहे। होर्डिंग बल्ली एवं विद्युत पोलों के सहारे नही लगायी जायेंगी। 20X10 वर्ग फिट की होर्डिंग तीन गार्टरो तथा 40X10 वर्ग फीट की होर्डिंग मे चार गार्टर पर स्थापित न होने की दशा मे संबंधित फर्म को उस कार्यादेश का कोई भुगतान नही किया जायेगा। गार्टर की लम्बाई लगभग 20 फीट मोटाई/चौढाई लगभग 2.2X4.3 इंच होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त होर्डिंग जमीन से लगभग 5 फिट ऊची होनी चाहिए। होर्डिंग्स मजबूत रहे इसके लिए कंकरीट से होर्डिंग को जाम कराना होगा।
27	अधिकृत विनायल मानक के अनुरूप उच्च कोटि का होना चाहिए, जो किसी भी दशा में कम से कम छः माह तक डिफेस न हो। विनायल हटाने हेतु कोई शुल्क देय नही होगा।
28	किसी भी विवाद की दशा मे न्याय क्षेत्र लखनऊ ही होगा। निदेशक सूचना को यह अधिकार होगा कि किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त कर सकें।

29	कार्य स्थल पर किसी भी प्रकार के परिवर्तन/संशोधन/परिमार्जन की दशा में निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की अनुमति आवश्यक होगी। किसी भी प्रकार के परिवर्तन की दशा मे कोई अतिरिक्त भुगतान देय नही होगा।
30	जिस फर्म की दरें न्यनतम प्राप्त होगी, उक्त फर्म को उसकी कार्य कुशलता, क्षमता एवं क्रियेटिविटी के अनुसार कार्य का आवंटन किये जाने का पूर्ण अधिकार निदेशक सूचना को होगा। मात्र न्यनतम दर पर अनुबन्ध करके कार्य करने का अधिकार प्राप्त न होगा।
31	जिन फर्मों के पास नगर निगम, नगर पालिका परिषद में अधिकृत साईट उपलब्ध है, वित्तीय बिड में केवल उन्ही फर्मों द्वारा अधिकृत साईट्स की दरों का अंकन किया जायेगा। अधिकृत साईट का विस्तृत विवरण अधिकार पत्र के साथ (पिन प्वाइट लोकेशन एवं चिन्हित स्थल के साथ) प्रस्तुत करना होगा।
32	वित्तीय बिड में दरें जिस प्रारूप में मांगी गयी है, उसी प्रारूप दरें मान्य होंगी। पृथक से लगायी गयी दरों की सूची मान्य नही होगी। वित्तीय निविदा में दरें साफ व सुस्पष्ट अंकित करें। कटिंग/ओवरराइटिंग वाली वित्तीय निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। **(वित्तीय दरें केवल टंकण कराकर दें।)**
33	एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, मैट्रो स्टेशन एवं एक्सप्रेस-वे हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्राधिकार पत्र के साथ प्राप्त फर्मों द्वारा ही उक्त मीडिया की वित्तीय बिड में दरें अंकित की जायेंगी।
34	जिन फर्मो के पास अधिकृत साईट उपलब्ध नहीं है, उनके द्वारा अधिकृत साईट (यूनीपोल, रूफटॉप आदि) की दरें अंकित न की जाये।
35	यदि कोई फर्म अनधिकृत रूप से (जहा के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत नहीं किया गया है) दरें अंकित करती है, तो उसकी जमानती राशि जब्त करते हुये उसे पैनल में शामिल न करने का अधिकार निदेशक सूचना को होगा।
36	निविदा के माध्यम से अनुमोदित न्यूनतम दर पर फर्म को अधिकृत साईट पर प्रत्येक दशा में शासकीय कार्य करना होगा। कार्य आवंटन के पश्चात यदि फर्म द्वारा किन्हीं भी कारणों से कार्य करने से मना किया जाता है, तो जमानती राशि जब्त करते हुये भविष्य मे कार्य आवंटित न किये जाने का अधिकार निदेशक सूचना में निहित होगा।
37	निविदादाता को इस आशय का रू0 100/- के नोटाईज्ड नॉन ज्यूडीशियल स्टैम्प पेपर पर शपथ-पत्र/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसकी फर्म को राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार अथवा उसके स्वामित्वाधीन वाले किसी विभाग द्वारा कभी ब्लैक लिस्टेड या अपात्र घोषित नही किया गया है तथा साथ ही निविदा हेतु अधिकृत व्यक्ति का शपथ पत्र रू0 100/- के नोटाईज्ड नॉन ज्यूडीशियल स्टैम्प पेपर पर देना अनिवार्य है।
38	फर्म को अपने स्वामित्व के विवरण हेतु पंजीकरण प्रमाण-पत्र (फर्म सोसाइटी/साझेदारी अधिनियम एक्ट, कम्पनी एक्ट आदि) संलग्न करना होगा।
39	फ्लैक्स प्रिन्टिग मशीन के स्वामित्व संबंधी विवरण का पूर्ण उल्लेख, जिसमे प्रिटिंग मशीन स्थापित होना, विद्युत कनेक्शन का लोड का विवरण, छपाई की क्षमता (प्रति घण्टे) के साथ ही चौहद्दी का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
40	होर्डिंग/वाल होर्डिंग मे फर्म को मानक के अनुसार प्रत्येक 01 माह पन्द्रह दिन पर फ्लैक्स परिवर्तन करना अनिवार्य होगा।
41	फर्म को इस आशय एक शपथ रू0 100/- के नोटाईज्ड नॉन ज्यूडीशियल स्टैम्प पेपर पर देना होगा कि उपरोक्त बिन्दू-1 से 40 में कही गयी बाते पूर्णतः तथ्यों पर आधारित है। भविष्य में यदि उपरोक्त तथ्यों में कोई भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, तो नियमानुसार फर्म के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।
42	निविदा अवधि को बढ़ाये जाने का अधिकार, सूचना निदेशक का होगा तथा 01 बार में अधिकतम 06 माह के लिये ही निविदा अवधि को बढ़ाया जायेगा।

Shishir

(शिशिर)

सूचना निदेशक।

टेक्निकल बिड

फर्म का नामः—

1— रू0 4,000/— का निविदा शुल्क का बैंक ड्राफ्ट जो कि निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के पक्ष में देय लगाना अनिवार्य होगा।

2—रू0 5,00,000/— की अर्नेस्ट मनी बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0, जो कि निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के पक्ष में देय के रूप में लगाना अनिवार्य होगा। (एम0एस0एम0ई0 स्टार्टअप पंजीकरण फर्मों को निर्धारित मानको के अनुरूप छूट प्रदान की जायेगी।)

बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0संख्या	दिनांक	बैंक का नाम

3— विगत वित्तीय वर्षों 2018—19, 2019—20 तथा 2020—21 की आयकर रिटर्न की प्रमाणित प्रति एवं पैन नं0 प्रमाण पत्र तथा स्वामित्व संबंधी विवरण, पार्टनरशिप, एम0ओ0ए0 की छायाप्रति

पैन नं0		
इनकम टैक्स रिटर्न		
पार्टनरशिप,एम0ओ0ए0 की छायाप्रति		

4. जी0एस0टी0 प्रमाण—पत्र, की छायाप्रति संलग्न करें।

जी0एस0टी0 का विवरण		

5. जी0एस0टी0 रिटर्न की छायाप्रति संलग्न करें। (एम0एस0एम0ई0 स्टार्टअप पंजीकरण फर्मों को निर्धारित मानकों के अनुरूप छूट प्रदान की जायेगी।)

क्र0स0	वर्ष		
1	2018—19		
2	2019—20		
3	2020—21		

6– साइट का विवरण (अलग से सूची भी संलग्न करें)

क्र0स0	विवरण			

7– प्रिन्टिंग मशीन की क्षमता/फर्म की कार्यशाला का विवरण/मैनपावर का विवरण।

क्र0स0	प्रिन्टिंग मशीन की क्षमता/कार्यस्थल	पता
1		
2	मैनपावर (लैटर हेड पर)	

8– टर्न ओवर/वित्तीय विवरण। (एम0एस0एम0ई0 स्टार्टअप पंजीकरण फर्मों को निर्धारित मानकों के अनुरूप छूट प्रदान की जायेगी।)

अ. निविदादाता द्वारा फर्म/कम्पनी का वार्षिक टर्नओवर न्यूनतम 40 लाख चार्टेड एकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित टर्न ओवर प्रमाण पत्र की छाया प्रति।

ब. चार्टेड एकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित विगत वर्षों की बैलेन्स शीट की छायाप्रति।

क्र0स0	वर्ष		
1	2018–19		
2	2019–20		
3	2020–21		

9– सरकारी विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव कार्य प्रमाण पत्र

क्र0स	वर्ष	सरकारी विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के नाम व प्रमाण पत्र संलग्न
1	2019–20	
2	2020–21	

10– नगर निगम/नगर पालिका/टाउन एरिया आदि, जैसी भी स्थिति हो, का पंजीकरण प्रमाणपत्र

नगर निगम पंजीकरण संख्या	दिनांक	फोटो प्रति संलग्न

11–शपथ पत्र

1	अधिकृत व्यक्ति	
2	ब्लैक लिस्टेड	
3	सत्यता/प्रमाणिकर्ता	

नोट :– समस्त अभिलेख फ्लैगिंग करना अनिवार्य होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता एवं मोहर

फर्म का नाम –

फर्म का पता –

व्यापार कर पंजीयन/जी0एस0टी0 संख्या –

मोबाइल नम्बर –

प्रोपराइटर का नाम –

फर्म का ई–मेल –